रजिस्ट्री सं. डी. एल.–33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1152] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 30, 2006/आश्विन 8, 1928
No. 1152] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 30, 2006/ASVINA 8, 1928

## लघु उद्योग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2006

**का.आ. 1642( अ ).**—केन्द्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में धारा 7 की उप-धारा (4) के अधीन सलाहकार समिति की सिफारिश को प्राप्त करने के पश्चात् उद्यमों को चाहे वे स्वामित्वधारी, हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्ति संगम, सहकारी सोसायटी, भागीदारी उपक्रम या कोई अन्य विधिक इकाई हो, तथा किसी भी नाम से ज्ञात हों, अधिसूचित करती है,–

(i) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से संबंधित माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगे उद्यमों की दशा में, जैसे–

(क) एक सूक्ष्म उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रुपए से अधिक न हो ;

(ख) एक लघु उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रुपए से अधिक हो किन्तु पांच करोड़ रुपए से अधिक न हो; या

(ग) एक मध्यम उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पांच करोड़ रुपए से अधिक हो परंतु दस करोड़ रुपए से अधिक न हो;

(ii) सेवाएं प्रदान करने या उपलब्ध कराने में लगे उद्यमों की दशा में,

(क) एक ऐसे सूक्ष्म उद्यम के रूप में जहां उपकरण में विनिधान दस लाख रुपए से अधिक न हो;

(ख) एक ऐसे लघु उद्यम के रूप में जहां उपकरण में विनिधान दस लाख रुपए से अधिक हो किन्तु दो करोड़ रुपए से अधिक न हो; या

(ग) एक ऐसे मध्यम उद्यम के रूप में जहां उपकरण में विनिधान दो करोड़ रुपए से अधिक हो किन्तु पांच करोड़ रुपए से अधिक न हो।

[फा. सं. 4(1)/2006-एमएसएमई नीति]

जवाहर सरकार, अपर सचिव

## MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

## NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2006

**S.O. 1642(E).**— The Central Government, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, after having obtained the recommendations of the Advisory Committee under Sub-section (4) of Section 7 of the Act in this regard, hereby notifies the following enterprises, whether proprietorship, Hindu undivided family, association of persons, co-operative society, partnership or undertaking or any other legal entity, by whatever name called :—

(i) in the case of the enterprises engaged in the manufacture or production of goods pertaining to any industry specified in the First Schedule to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, as —

(a) a micro enterprise, where the investment in plant and machinery does not exceed twenty five lakh rupees;

(b) a small enterprise, where the investment in plant and machinery is more than twenty five lakh rupees but does not exceed five crore rupees; or

(c) a medium enterprise, where the investment in plant and machinery is more than five crore rupees but does not exceed ten crore rupees ;

(ii) in the case of the enterprises engaged in providing or rendering of services, as—

(a) a micro enterprise, where the investment in equipment does not exceed ten lakh rupees;

(b) a small enterprise, where the investment in equipment is more than ten lakh rupees but does not exceed two crore rupees; or

(c) a medium enterprise, where the investment in equipment is more than two crore rupees but does not exceed five crore rupees.

[F. No. 4(1)/2006-MSME Policy]
JAWHAR SIRCAR, Addl. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.